10/10/23

वकील प्रत्यर्थी उप०। वकील अपीलार्थी आज भी शेष R-3 की तलबी कराने हेतु समय चाह रहे हैं जो अब उचित नहीं है। यह प्रकरण काफी पुराना है। निरन्तर तारीख लिए जाने के बावजूद वकील अपीलार्थी अपील में न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति में असफल रहे हैं। यह व्यवहार न्यायिक प्रक्रिया में देरीना की श्रेणी में आता है। दिनांक 19.12.22 की रोशनी में भी वकील अपीलार्थी को R-3 की तलबी कराने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया था। इस प्रकरण में प्रारम्भ से ही R-3 की तलबी हेतु वकील अपीलार्थी को बार-बार हिदायत दी जाती

NEXT →

तारीख तामील हुक्म जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रही है। जबकि वादी का अपने वाद को सिद्ध करने एवं न्यायिक प्रक्रियाओं की पूर्ति का दायित्व वादी का ही रहता है। इस प्रकार गत्तारा 15.12.22 की रोशनी में वकील अपीलांट को अन्तिम तारीख/मौका दिए जाने के बाद भी वकील अपीलान्ट द्वारा कोई तवज्जो न देते हुए आज भी शेष रेस्पो० क्र० 3 की तलबी हेतु कोई मुनासिब कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार वकील अपीलान्ट के द्वारा न्यायिक प्रक्रियाओं में अपनी ओर से कोई दिलचस्पी नहीं लेना और केस को आगे न चलाने की मंशा को प्रकट करता है। लिहाजा शेष R-3 की तलबी बार-बार मौके दिए जाने के बावजूद भी नहीं कराने के कारण यह अपील सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आर्डर 09 रूल 5 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों के तहत इसी स्तर पर नोन कम्पलायन्स में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर की जावे। (हस्ताक्षर) संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर	